भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4023

(दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती द्वारा नियोजित कैजुअल कार्मिक

4023. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑल इंडिया रेडियो और प्रसार भारती द्वारा वर्तमान में कार्यरत कैजुअल अनाउंसरों, कैजुअल समाचार वाचक-सह-अनुवादकों, कैजुअल कंपेयरों, कैजुअल ब्रॉडकास्ट सहायकों और अन्य श्रेणियों सहित कैजुअल कार्मिकों की राज्य-वार और स्टेशन-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में कार्यरत कार्मिकों सहित ऐसे कैजुअल कार्मिकों की संख्या कितनी है जिन्होंने पाँच, दस, पंद्रह और बीस वर्ष से अधिक समय तक लगातार सेवा प्रदान की है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी सेवा शर्तों, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा लाभों और नौकरी की सुरक्षा की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उनके नियमितीकरण, संविदात्मक समायोजन, पारिश्रमिक में संशोधन या सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार के लिए कोई समिति या प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी लंबे समय से लंबित शिकायतों का समाधान करने, निष्पक्ष सेवा शर्तें सुनिश्चित करने और लंबी अवधि के लिए अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): प्रसार भारती कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, केवल असाइनमेंट के आधार पर कैजुअल असाइनी को नियुक्त करता है। ऐसी

नियुक्तियाँ स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं की जाती हैं, नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं और न ही नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित करती हैं। चूँकि ये नियुक्तियाँ आवश्यकता-आधारित होती हैं और असाइनमेंट के आधार पर की जाती हैं, अतः इनकी निश्चित संख्या अथवा कार्यकाल-वार आँकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कैजुअल असाइनी अन्य रोजगार करने के लिए स्वतंत्र हैं और वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा लाभों के हकदार नहीं हैं; तथापि, उनकी फीस संरचना की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वर्तमान में, नियमितीकरण, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने, पारिश्रमिक में संशोधन अथवा सामाजिक सुरक्षा लाभों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कैजुअल असाइनियों से प्राप्त अभ्यावेदनों और शिकायतों की मौजूदा नीति संबंधी दिशा-निर्देशों, न्यायिक निर्णयों और प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर जाँच की जाती है और दिशा-निर्देशों के पारदर्शी और एकसमान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
